अनुबंध 1

<u>टियर I पूंजी में स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस)</u>
<u>को शामिल करने के लिए मानदंड</u>

1. जारी करने की शर्तें

(i) सीमाएं

टियर I अधिमान शेयरों की बकाया राशि टियर 1 स्थायी ऋण लिखतों के साथ किसी भी समय कुल टियर I पूंजी के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त सीमा सुनाम और अन्य अमूर्त आस्ति की कटौती के बाद लेकिन निवेश की कटौती से पहले टियर I पूंजी की राशि पर आधारित होगी। 40 प्रतिशत की समग्र सीमा से अधिक जारी किए गए टियर I अधिमान शेयर, टियर II पूंजी के लिए निर्धारित सीमाओं के अधीन, उच्च टियर II पूंजी के तहत शामिल किए जाने के पात्र होंगे। हालांकि, निवेशकों के अधिकार और दायित्व अपरिवर्तित रहेंगे।

(ii) राशि

जुटाई जाने वाली पीएनसीपीएस की राशि बैंकों के निदेशक बोर्ड द्वारा तय की जाएगी।

(iii) परिपक्वता

पीएनसीपीएस स्थायी(बेमीयादी) होगा।

(iv) विकल्प

(i) पीएनसीपीएस को 'पुट ऑप्शन' या 'स्टेप अप ऑप्शन' के साथ जारी नहीं किया जाएगा।

(ii) हालांकि, बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी विशेष तिथि पर क्रय विकल्प के साथ लिखत जारी कर सकते हैं:

(क) कम से कम दस साल तक लिखत बने रहने के बाद लिखत पर क्रय विकल्प की अनुमति है; तथा

(ख) क्रय विकल्प का प्रयोग केवल आरबीआई (विनियमन विभाग) के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा। क्रय विकल्प का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय, आरबीआई अन्य बातों के अलावा, क्रय विकल्प के प्रयोग के समय और क्रय विकल्प के प्रयोग के बाद, बैंक की सीआरएआर स्थिति को ध्यान में रखेगा।

(v) लाभांश

निवेशकों को देय लाभांश की दर या तो एक निश्चित दर या बाजार द्वारा निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर के संदर्भ में एक अस्थायी दर हो सकती है।

(vi) लाभांश का भुगतान

(क) जारीकर्ता बैंक चालू वर्ष की आय में से वितरण योग्य अधिशेष की उपलब्धता के अधीन लाभांश का भुगतान करेगा, और यदि

(i) बैंक का सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामकीय आवश्यकता से ऊपर है;

(ii) इस तरह के भुगतान के प्रभाव के परिणामस्वरूप बैंक की पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामकीय आवश्यकता से नीचे या शेष नहीं रहता है;

(iii) लाभांश के अर्धवार्षिक भुगतान के मामले में, पिछले वर्ष के अंत में तुलन पत्र कोई संचित हानि नहीं दिखाती है; तथा

(iv) लाभांश के वार्षिक भुगतान के मामले में, चालू वर्ष का तुलन पत्र कोई संचित हानि नहीं दिखाता है।

(ख) लाभांश संचयी नहीं होगा। एक वर्ष में छूटे हुए लाभांश का भुगतान भविष्य के वर्षों में नहीं किया जाएगा, भले ही पर्याप्त लाभ उपलब्ध हो और सीआरएआर का स्तर न्यूनतम विनियामकीय स्तर के अनुरूप हो। जब लाभांश का भुगतान निर्धारित दर से कम दर पर किया जाता है, तो भविष्य के वर्षों में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, भले ही पर्याप्त लाभ उपलब्ध हो और सीआरएआर का स्तर विनियामकीय न्यूनतम के अनुरूप हो।

(ग) ऊपर (क) की शर्तों के परिणामस्वरूप लाभांश का भुगतान न करने/ निर्धारित से कम दर पर लाभांश का भुगतान करने के सभी मामलों को जारीकर्ता बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के केंद्रीय कार्यालय के विनियमन और पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी-मुख्य महाप्रबंधक को सूचित किया जाएगा।

(vii) दावे की अधिमानिता

पीएनसीपीएस में निवेशकों के दावे इक्विटी शेयरों में निवेशकों के दावों से अधिमानी होंगे और अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीन होंगे।

(viii) अन्य शर्तें

(क) पीएनसीपीएस पूरी तरह से भुगतान योग्य, अप्रतिभूत और किसी भी प्रतिबंधात्मक शर्त से मुक्त होगा।

(ख) एफआईआई और एनआरआई द्वारा निवेश निर्गम का क्रमशः 49 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर होगा, बशर्ते कि प्रत्येक एफआईआई द्वारा निवेश निर्गम के 10 प्रतिशत से अधिक न हो और प्रत्येक एनआरआई द्वारा निवेश निर्गम के 5 प्रतिशत से अधिक न हो। इन लिखतों में एफआईआई द्वारा निवेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित रुपये में मूल्यवर्गित कॉर्पोरेट ऋण के लिए ईसीबी

सीमा से बाहर होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अधिमानी शेयरों और इक्विटी शेयरों की समग्र अनिवासी धारिता वैधानिक/ विनियामकीय सीमा के अधीन होगी।

(ग) बैंक लिखतों को जारी करने के संबंध में सेबी/ अन्य विनिया प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों, यदि कोई हों, का पालन करेंगे।

2. आरक्षित निधि अपेक्षाओं का अनुपालन

(क) निर्गम के लिए बैंक या अन्य बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा एकत्र की गई और टियर I अधिमान शेयरों के आवंटन को अंतिम रूप देने के लिए लंबित निधियों को आरक्षित निधि अपेक्षाओं की गणना के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाएगा।

(ख) पीएनसीपीएस के निर्गम द्वारा बैंक द्वारा जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित निधि आवश्यकताओं के उद्देश्य के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना के लिए देयता के रूप में नहीं माना जाएगा और इस तरह, सीआरआर/ एसएलआर आवश्यकताओं को आकर्षित नहीं करेगा।

3. रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

(i) पीएनसीपीएस जारी करने वाले बैंक प्रभारी -मुख्य महाप्रबंधक, विनियमन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें निर्गम पूरा होने के तुरंत बाद प्रस्ताव दस्तावेज़ की एक प्रति सहित ऊपर मद 1 में निर्दिष्ट निर्गम की शर्तों के साथ जुटाई गई पूंजी का विवरण शामिल होगा।

(ii) एफआईआई/एनआरआई से बैंक द्वारा टियर I पूंजी के लिए अर्हता प्राप्त पीएनसीपीएस के रूप में जुटाई गई राशि का निर्गम-वार ब्योरा जारी होने के 30 दिनों के भीतर मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 400 001 को इस **अनुबंध** के अंत में दिए गए प्रोफार्मा में सूचित किया जाना आवश्यक है। स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पर इन लिखतों में एफआईआई और एनआरआई द्वारा द्वितीयक बाजार की बिक्री/ खरीद का विवरण क्रमशः संरक्षक और नामित बैंकों द्वारा जैसा कि दिनांक 3 मई 2000 को जारी समय-समय पर संशोधित फेमा अधिसूचना संख्या 20 की अनुसूची 2 और 3 में निर्धारित है, के अनुसार एलईसी विवरणी की सॉफ्ट प्रति के माध्यम से आरबीआई को दैनिक आधार पर रिपोर्ट किया जाएगा।

4. अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी बेमियादी गैर-संचयी अधिमान शेयरों में निवेश

(ए) अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी पीएनसीपीएस में एक बैंक के निवेश की गणना अन्य लिखतों में निवेश के साथ की जाएगी जो कि पूंजी की स्थिति के लिए पात्र हैं, जबकि इन निदेशों के पैरा 14 में निर्धारित निवेश बैंक की पूंजीगत निधि के 10 प्रतिशत की समग्र सीमा के अनुपालन की गणना की जाएगी।

(बी) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी पीएनसीपीएस में बैंक के निवेश पर इन निदेशों के पैरा 14(iv) में निर्धारित पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए जोखिम भार होगा।

(सी) अन्य बैंकों के पीएनसीपीएस में एक बैंक के निवेश को पूंजी बाजार के एक्सपोजर के रूप में माना जाएगा और आरबीआई द्वारा निर्धारित पूंजी बाजार एक्सपोजर के लिए विवेकपूर्ण उच्चतम सीमा के अनुपालन के उद्देश्य से गणना की जाएगी।

5. टियर I अधिमानी शेयरों के एवज में अग्रिमों का अनुदान

बैंक अपने द्वारा जारी पीएनसीपीएस की जमानत पर अग्रिम नहीं देंगे।

6. तुलन पत्र में वर्गीकरण

इन लिखतों को पूंजी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और तुलनपत्र की 'अनुसूची I-पूंजी' के तहत दिखाया जाएगा।

रिपोर्टिंग प्रारूप

(अनुबंध-1 का सीएफ. पैरा 3(ii))

<u>टियर-। पूंजी के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाले बेमियादी गैर-संचयी अधिमान शेयरों में एफआईआई और एनआरआई द्वारा निवेश का विवरण</u>

(ए) बैंक का नाम :

(बी) कुल निर्गम आकार/उठाई गई राशि (रुपयों में) :

(सी) जारी करने की तारीख :

एफआईआई			**एनआरआई**		
<u>एफआईआई की संख्या</u>	**जुटाई गई राशि**		**अनिवासी भारतीयों की संख्या**	**जुटाई गई राशि**	
	रुपये में	**कुल अंक आकार के प्रतिशत के रूप में**		**रुपये में**	**कुल अंक आकार के प्रतिशत के रूप में**

प्रमाणित किया जाता है कि

(i) सभी एफआईआई द्वारा कुल निवेश निर्गम आकार के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं है और किसी भी एफआईआई द्वारा निवेश निर्गम आकार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(ii) यह प्रमाणित किया जाता है कि सभी अनिवासी भारतीयों द्वारा कुल निवेश निर्गम आकार के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं है और किसी भी व्यक्ति द्वारा निवेश निर्गम आकार के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
दिनांक
बैंक की मुहर